परिपत्र संख्या/२४२५००५/विशेष अनुज्ञा याचिका/2024–2025/ 451 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांक 14, जून 2024

1.समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2.एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज।
3.एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, लखनऊ।

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या–20 दिनांक 08.04.2021 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, परन्तु एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1/ ग्रेड –2 (उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर द्वारा एस0एल0पी0 प्रस्ताव को विलम्ब कर मुख्यालय प्रेषित किया जा रहा है। विशेष अनुज्ञा याचिका से संबंधित मामलों में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उच्च न्यायालय कार्य कार्यालय द्वारा मुख्य स्थायी अधिवक्ता से स्वयं सीधे विधिक राय न प्राप्त कर फील्ड के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है, जो कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या–20 दिनांक 08.04.2021 का उल्लघंन है। इस संबंध में कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–1596 दिनांक 27.02.2024 द्वारा पुनः स्पष्ट निर्देश एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1(उ0न्या0कार्य), वाणिज्य कर, प्रयागराज को निम्न प्रकार प्रदान किये गये थे कि **"मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों का परीक्षण कराकर यथाआवश्यकता एस0एल0पी0 प्रस्ताव समयान्तर्गत प्रेषित किए जाए, यदि किसी भी मामले में समयबद्ध एस0एल0पी0 प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित नहीं किए जाते है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके कार्यालय का होगा।"**

विशेष अनुज्ञा याचिका से संबंधित प्रकरण समयान्तर्गत कार्यवाही की अपेक्षा करते है। अतः उक्त के संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है उच्च न्यायालय कार्य मैनुअल (2015) के पृष्ठ–17 पर अध्याय–8 तथा यथा संशोधित कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या–20 दिनांक 08.04.2021 का अनुपालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त परिपत्र का अनुपालन न करने एवं विलम्ब की स्थिति में सभी मामलों में सम्पूर्ण जिम्मेदारी उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर प्रयागराज/लखनऊ की होगी। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि **विशेष अनुज्ञा याचिका के सभी मामलों में ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्च न्यायालय कार्य द्वारा ही प्रकरण से संबंधित स्थायी अधिवक्ता को अवगत कराते हुये एक सप्ताह के अन्दर उनका परामर्श प्राप्त कर लिया जायेगा एवं परामर्श प्राप्त होते ही उस पर नियामानुसार विचार कर विशेष अनुज्ञा याचिका की आवश्यकता होने पर प्रस्ताव समस्त संलग्नको सहित विशेष पत्रवाहक के माध्यम से मा0 उच्च न्यायालय के सत्यापित निर्णय की प्राप्ति तिथि से 01 सप्ताह के भीतर वाद अनुभाग, मुख्यालय को प्राप्त कराया जायेगा।** पूर्व परिपत्र संख्या–20 दिनांक 08.04.2021 के पैरा–4 में भी यही निर्देश थे कि **"मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशो के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका दायर किये**

जाने वाले मामलों में संबंधित बेंच के लिए तैनात स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श अथवा शासन के निर्देश पर विशेष अनुज्ञा याचिका के प्रस्तावित मामलों को उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज/लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।" अतः उक्त अवधि के भीतर विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित न करने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि किसी मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु या कोई तात्कालिक विशेष कारण निहित होने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, स्वयं से संतुष्ट है कि जोन से इस हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है केवल तभी विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने के मामलो में शासनादेश संख्या–38–2017/ यू–ओ0–23/ सात–न्याय–1– 2017–70–जी0/2017 दिनांक 31–05–2017 से राज्य मुकदमा नीति के निर्धारित मापदंडों के अनुरुप होने पर वाद से सम्बन्धित आफीसर द्वारा जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 से अनुमोदित प्रस्ताव व्यक्तिगत रुप से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर को प्राप्त कराया जायेगा।

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश उपरोक्त निर्देशों से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त निर्देशो का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

(मिनिस्ती एस०)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ० पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि –
1. ज्वा०कमि० (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को बेबसाइट पर यथास्थान अपलोड कराने हेतु ।

12.6.24

(अमरनाथ यादव)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

जाने वाले मामलों में संबंधित बेंच के लिए तैनात स्थायी अधिवक्ता के परामर्श के आधार पर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श अथवा शासन के निर्देश पर विशेष अनुज्ञा याचिका के प्रस्तावित मामलों को उच्च न्यायालय कार्य प्रयागराज/लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।" अतः उक्त अवधि के भीतर विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित न करने की स्थिति में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यदि किसी मामले में अत्यधिक महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु या कोई तात्कालिक विशेष कारण निहित होने पर जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, स्वयं से संतुष्ट है कि जोन से इस हेतु तत्काल प्रस्ताव प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है केवल तभी विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने के मामलो में शासनादेश संख्या–38–2017/ यू–ओ0–23/ सात–न्याय–1– 2017–70–जी0/2017 दिनांक 31–05–2017 से राज्य मुकदमा नीति के निर्धारित मापदंडों के अनुरुप होने पर वाद से सम्बन्धित आफीसर द्वारा जोन के एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 से अनुमोदित प्रस्ताव व्यक्तिगत रुप से सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर को प्राप्त कराया जायेगा।

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश उपरोक्त निर्देशों से अपने समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त निर्देशो का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाये।

(मिनिस्ती एस०)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ० पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त

प्रतिलिपि –
1. ज्वा०कमि० (आई०टी०) वाणिज्य कर मुख्यालय को बेबसाइट पर यथास्थान अपलोड कराने हेतु ।

12.6.24

(अमरनाथ यादव)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।